...हो। पूर्वानुसार दिनांक
...को पेश हो।

22-2-21 उभयपक्षगण के भी उप. वाद कुछ
अल्प थोड़ा दिनांक 01-2 को देकर

01-2-1 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य
कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार
दिनांक 23-2-21 को पेश हो।

23-2-21 वादीगण एवं वादीगण के अभिभाषक उप. नहीं व प्रतिवादीगण के अभिभाषक उपस्थित। कई बार आवाज लगाई गई लेकिन वादीगण एवं वादीगण के अभिभाषक कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि वादीगण मुकदमा को चलाना नहीं चाहते। अतः वादीगण मुकदमा की पैरवी नहीं करते हैं। अतः खारिज। मेधा जाता व पक्ष, फैसलशुदा घोषित किया जाता है।

सूचना जारी
23.02.21